डॉ. कृष्णा कान्त पाठक, आई.ए.एस.
Dr. Krishna Kant Pathak, IAS

आयुक्त, उद्योग एवं
शासन सचिव,
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व
राजस्थान सरकार
उद्योग विभाग, तिलक मार्ग, जयपुर- 302005
Commissioner, Industries &
Secretary, Corporate Social Responsibility
Government of Rajasthan
Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur- 302005

कमांक: एफ45(41) आ.उ./सीएसआर/स.बै./2016

दिनांक: 5.3.2019

**प्रमुख शासन सचिव**
**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**
**शासन सचिवालय, जयपुर**

**विषयः कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वों के अन्तर्गत समुचित कार्य/प्रोजेक्ट का चयन कर विभागीय पोर्टल के माध्यम से सीएसआर राशि में लिये जाने के संबंध में।**

महोदय,

भारतीय कम्पनी अधिनियम में विभिन्न उद्योगों एंव उद्यमियों को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के रूप में सामाजिक एवं अन्य विकासात्मक कार्यों में सहभागीता निभाने हेतु प्रावधान किये गये है और इस प्रकार के प्रावधान संभवतः पूरे विश्व में केवल भारत में ही किये गये है। इसका उद्देश्य यह है कि उद्योग एवं उद्यमी आर्थिक गतिविधियों के अतिरिक्त सामाजिक दायित्वों से भी स्वयं को संबद्ध करें और उसमें अपनी सहभागिता निभाते हुए आवश्यक सहयोग करें।

भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी गाईडलाईन **"कम्पनीज रूल्स– 2014"** में सीएसआर हेतु जो प्रावधान बनाये गए, उसमें आवश्यक रूप से सम्मिलित होने वाली कम्पनियों के निर्धारण हेतु निश्चित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं, जो निम्न प्रकार है:

- कम्पनी का टर्नओवर 1000 करोड या अधिक हो।
- कम्पनी की संपत्ति 500 करोड या अधिक हो।
- कम्पनी का शुद्ध लाभ 5 करोड या अधिक हो।

ऐसी कम्पनियों को CSR के तहत् उनके विगत 3 वर्षों में शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत विभिन्न कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वों में व्यय किये जाने का प्रावधान हैं। इस संबंध में किसी उद्यम द्वारा जिन कार्यों या मदो हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकता है, उनकी सूची निम्नानुसार है:

Permissible activities under CSR
**Schedule VII**
(*See* sections 135)
Activities which may be included by companies in their **Corporate Social Responsibility** Policies, Activities relating to :—

(*i*) eradicating extreme hunger and poverty;

(*ii*) promotion of education;

(*iii*) promoting gender equality and empowering women;

(*iv*) reducing child mortality and improving maternal health;

(*v*) combating human immuno-deficiency virus, acquired immune deficiency syndrome, malaria and other diseases;

(*vi*) ensuring environmental sustainability;

(*vii*) employment enhancing vocational skills;

(*viii*) social business projects;

(*ix*) Contribution to the **Prime Minister's National Relief Fund** or any other fund set up by the Central Government or the State Governments for socio-economic development and relief and funds for the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, minorities and women; and

(*x*) such other matters as may be prescribed.

उक्त सूची से यह स्पष्ट है कि सीएसआर के अन्तर्गत मुख्यतः शिक्षा, चिकित्सा, कौशल, गरीबी उन्मूलन, आपदा सहायता, पर्यावरण संरक्षण, लिंग समानता एंव स्त्री सशक्तीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बल दिया गया है। चूंकि ये विषय राज्य स्तर पर अनेक विभागों द्वारा देखे जाते हैं, अतः उद्योग विभाग इसमें नोडल विभाग की ही भूमिका निभाता है और वह एक फेसिलिटेटर के रूप में उद्यमों को ऐसे कार्यों को करने हेतु एक प्रेरक एवं मंच का कार्य करता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उद्योगों एवं कम्पनियों के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वों को प्रेरित करने एवं प्रभावी रूप में मोनिटरिंग करने हेतु उद्योग विभाग के अन्तर्गत पृथक से सीएसआर अनुभाग सृजित करते हुए इस हेतु शासन सचिव स्तर का पद सृजित किया गया है और ऐसा करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है।

इस संबंध में चूंकि विभिन्न विभाग अपने अन्तर्गत विद्यमान विषयों के रूप में उक्त प्रावधानों के तहत राशि का उपयोग करने हेतु सेतु बन सकते है, अतः वे अपने विभागों के अधीन अथवा उनके विषयों से जुड़े कार्यों एवं प्रोजेक्ट्स को कम्पनियों के लिए सुझाव हेतु प्रेषित कर सकते है अथवा स्वयं भी विभागीय पोर्टल पर डाल सकते हैं। इस हेतु सामान्य प्रपत्र संलग्न है और इसमें आवश्यकतानुसार अलग से विवरण संलग्न किये जा सकते है एवं अनेक कार्य होने पर उनकी एक सूची भी **संलग्न** प्रपत्रानुसार प्रेषित की जा सकती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप में आपके विभाग से संबंधित प्रोजेक्ट इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(कृष्णा कांत पाठक)
आयुक्त, उद्योग एवं
शासन सचिव, सीएसआर

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2014/फाल्गुन 9, 1935
No. 96] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2014/PHALGUNA 9, 1935

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2014

**सा.का.नि. 130(अ).**—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची 7 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

1. अनुसूची 7 में, मद (i) से मद (x) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :–

"(i) भूख, निर्धनता और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देख-रेख और स्वच्छता का संवर्धन और सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना;

(ii) शिक्षा जिसमें विशेष शिक्षा और विशेषतः बालकों, स्त्रियों, वयोवृद्धों, अन्य रूप से समर्थ व्यक्तियों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने संबंधी नियोजन और जीविका की बढ़ोत्तरी संबंधी परियोजनाएं का संवर्धन;

(iii) लैंगिक समता, स्त्री सशक्तिकरण का संवर्धन, स्त्रियों और अनाथों के लिए गृहों और छात्रावासों का गठन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों, दैनिक देखरेख केंद्रों का गठन और ऐसी अन्य सुविधाएं तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानता में कमी लाने के लिए उपाय करना;

(iv) पर्यावरणीय संपोषण, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पति जीव-जंतु का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना तथा मृदा, वायु और जल की क्वालिटी बनाए रखना;

(v) राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण, जिसमें भवनों और ऐतिहासिक महत्ता के स्थल और कलाकृतियां भी सम्मिलित हैं, सार्वजनिक पुस्तकालयों का गठन करना, पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्पों का संवर्धन और विकास;

(vi) सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों, योद्धाओं प्रभावी विधवाएं और उनके आश्रितों के फायदे के लिए उपाय;

(vii) ग्रामीण खेल-कूद राष्ट्रीय स्तर पर मान्यताप्राप्त खेल-कूद, पैरालम्पिक खेल-कूद और ओलम्पिक खेल-कूदों के संवर्धन के लिए प्रशिक्षण देना;

(viii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, स्त्रियों के सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत के लिए और कल्याण के लिए गठित की गई किसी अन्य निधि में अभिदाय;

(ix) शैक्षणिक संस्थान, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, के भीतर अवस्थित प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटरों के लिए प्रदान किये गये अभिदाय या निधियां;

(x) ग्रामीण विकास की परियोजनाएं;"।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 1/18ए/2013-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2014

**G.S.R. 130(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following amendments to Schedule VII of the said Act, namely :—

(1) In Schedule VII, for items (i) to (x) and the entries relating thereto, the following items and entries shall be substituted, namely :—

"(i) eradicating hunger, poverty and malnutrition, promoting preventive health care and sanitation and making available safe drinking water;

(ii) promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly, and the differently abled and livelihood enhancement projects;

(iii) promoting gender equality, empowering women, setting up homes and hostels for women and orphans; setting up old age homes, day care centres and such other facilities for senior citizens and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups;

(iv) ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agroforestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water;

(v) protection of national heritage, art and culture including restoration of buildings and sites of historical importance and works of art; setting up public libraries; promotion and development of traditional arts and handicrafts;

(vi) measures for the benefit of armed forces veterans, war widows and their dependents;

(vii) training to promote rural sports, nationally recognised sports, paralympic sports and Olympic sports;

(viii) contribution to the Prime Minister's National Relief Fund or any other fund set up by the Central Government for socio-economic development and relief and welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, minorities and women;

(ix) contributions or funds provided to technology incubators located within academic institutions which are approved by the Central Government;

(x) rural development projects."

2. This notification shall come into force with effect from 1st April, 2014.

[F. No. 1/18A/2013-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 2014/श्रावण 16, 1936
No. 408] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2014/SHRAVANA 16, 1936

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2014

**सा.का.नि. 568(अ).**—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची VII में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. अनुसूची VII, में मद (x) के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टि अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् —

"(xi) स्लम क्षेत्र विकास

*स्पष्टीकरण* – इस मद के प्रयोजन के लिए, 'स्लम क्षेत्र' से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्समय विधि के अधीन इस प्रकार घोषित कोई क्षेत्र अभिप्रेत है।"

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं.1/18/2013–सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

**टिप्पण** : अनुसूची VII 01 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त हुई और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 130(अ) तारीख 27 फरवरी, 2014 तथा सा.का.नि. 261(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित (01 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त) की गई।

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th August, 2014

**G.S.R. 568(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following further amendments in Schedule VII of the said Act, namely:-

(1) In Schedule VII, after item (x), the following item and entry shall be inserted, namely:-

"(xi) slum area development.

*Explanation.*— For the purposes of this item, the term 'slum area' shall mean any area declared as such by the Central Government or any State Government or any other competent authority under any law for the time being in force."

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/18/2013-CL-V]

AMARDEEP S. BHATIA, Jt. Secy.

**Note.**—The Schedule VII was brought into force with effect from 1st April, 2014 and was amended (effective from 1st April, 2014) vide notification number GSR 130(E) dated 27th February, 2014 and Corrigenda number GSR 261(E) dated 31st March, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

# CSR Format

## For Departments (For creating projects to demand CSR)

| S.No. | Points | Hindi | Remarks |
|---|---|---|---|
| **A** | **Department Details** | **विभागीय विवरण** | |
| 1. | Department | विभाग | Dropdown |
| 2. | Administrative Department | प्रशासनिक विभाग | Dropdown |
| 3. | Website with Link | वेबसाइट का लिंक | Open Field |
| 4. | Social Media page Link if any | सोशल मिडिया पेज का कोई लिंक | Open Field |
| **B** | **Work Details** | **कार्य संबंधी विवरण** | |
| 5. | Work | कार्य | Open Field |
| 6. | Nature of Work | कार्य की प्रकृति | **Dropdown/ Open Field**<br>• New Construction<br>• Maintenance<br>• Providing Equipment, Tools, Commodities<br>• Adopting a Ward or Institution<br>• Self-help group activity<br>• Any other Work |
| 7. | Details of Work | कार्य का विवरण | Open Field |
| 8. | Benefit/Advantage of Work | कार्य से लाभ | Open Field |
| 9. | How many persons will be benefited<br>(In one year or life time) | कितने लोगों को लाभांवित होगें<br>(एक वर्ष या आजीवन) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. | Nature of CSR Activity | सीएसआर गतिविधि की प्रकृति / क्षेत्र | **Selected from list:**<br>1. Eradicating extreme hunger and poverty.<br>2. Promotion of education.<br>3. Promoting gender equality and empowering women.<br>4. Reducing child mortality and improving maternal health.<br>5. Combating human immuno-deficiency virus, acquired immune deficiency syndrome, malaria and other diseases.<br>6. Ensuring environmental sustainability.<br>7. Employment enhancing vocational skills.<br>8. Social business projects<br>9. Contribution to the **Prime Minister's National Relief Fund** or any other fund set up by the Central Government or the State Governments for socio-economic development and relief and funds for the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, minorities and women; and<br>9. Such other matters as may be prescribed. |
| **11.** | **Total Amount needed** | कुल आवश्यक राशि | Open field |
| **12.** | **Time needed to complete** | पूरा करने हेतु कितने समय की आवश्यकता | Open field |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13. | **Who will execute the Work** | कार्य निष्पादन कौन करेगा | Department itself<br>Any society or autonomous body within the department<br>Any engineering agency (PWD/RSRDC/RIICO/etc.) |
| 14. | **Any master plan or DPR made** | कोई मास्टर प्लान या डीपीआर है | Yes/No |
| 15. | **Area/Address of Work** | क्षेत्र/कार्य का क्षेत्र | Whole State<br>District<br>Tehsil<br>City |
| C | **Bank Details** | **बैंक खाता विवरण** | |
| 16. | **Bank Account Number** | बैंक खाता संख्या | Open field |
| 17. | **Name of Bank** | बैंक का नाम | Dropdown |
| 18. | **IFS Code** | आईएफएस कोड | Open field |
| 19. | **Bank Account Holder Name** | बैंक खाता किसके नाम है | • Self Department<br>• Any society under the department |
| 20. | **Any Exemption in 80(G) Income Tax** | 80G में कोई छूट | Yes/No |
| D | **Enclosures or Attachments** | **एनक्लोजर/संलग्नक** | |
| 21. | **Photographs (Existing)** | फोटोग्राफ्स (मौजूदा) | |
| 22. | **Photographs (Proposed if any)** | फोटोग्राफ्स (यदि कोई प्रस्तावित हो) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23. | **Copy of Master plan or DPR** | मास्टर प्लान या डीपीआर की प्रति | Yes/No |
| 24. | **PPT** | पीपीटी | |
| 25. | **Document (Word or PDF)** | दस्तावेज (वर्ड या पीडीएफ) | |
| E | **Progress (Updation/ After completion)** | प्रगति (अद्यतनीकरण / पूरा करने के उपरान्त) | |
| 26. | **Photographs** | फोटोग्राफ्स | |
| 27. | **Videos** | वीडियो | |
| 28. | **News cuttings/ coverage** | समाचार की कटिंग / कवरेज | |
| 29. | **Award if any** | कोई पुरस्कार | Details |
| 30. | **Document (Word or PDF)** | दस्तावेज (वर्ड या पीडीएफ) | |
| 31. | **Link if any** | कोई लिंक | |